न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 12/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00036

उनवान

सुमेर सिंह पुत्र भंवर सिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम पोहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राम सिंह } पुत्रगण भंवर सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम पोहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
2. कन्हैया }
3. रूप सिंह }
4. रामभरोसी } पुत्रगण रघुनाथ जाति राजपूत नि0 ग्राम पोहई तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
5. तोताराम }
6. चन्दू सिंह }
7. शाखा प्रवन्धक महोदय पीएनबी शाखा नादनपुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब बसेडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.05.2018 व डिक्री दिनांक 10.01.2019 प्रकरण संख्या 04/2016 उनवान सुमेर सिंह बनाम राम सिंह, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेश श्रीवास्तव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–17.12.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय दिनांक 29.05.2018 व डिक्री दिनांक 10.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार एवं काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी अविभाजित है एवं वर्तमान में संयुक्त रूप से काश्त करने में परेशानी हो रही हैं। वादी/अपीलाण्ट ने प्रतिवादी/रैस्पो0 से विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराये जाने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी को अच्छे मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

विभाजन कराये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2018 एवं दिनांक 10.01.2019 से अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अभिभाषक अपीलाण्ट सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पक्षकारो को बिना सुने एवं बिना पूर्व सूचना दिये, पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव मॅगाते हुये, उसी रोज अन्तिम निर्णय पारित कर दिया। विभाजन प्रस्ताव भी हल्का पटवारी द्वारा बनाये गये हैं एवं उनके द्वारा पक्षकारो की कोई सहमति नहीं ली गयी है एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव पर उनकी सहमति के हस्ताक्षर ही कराये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त विभाजन प्रस्तावो पर दोनों पक्षो को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं देते हुये, राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया। मुताबिक कानून दोनों पक्षो को अच्छे में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी देनी चाहिये थी। परन्तु विभाजन प्रस्तावो में रैस्पो0 को अच्छी अच्छी आराजी दी गयी है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने एवं प्रकरण को पुनः विधिअनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में कुर्रे प्रस्ताव तलव करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

(मुहर: ... अधिकारी पदेन राजस्व ... कैम्प-धौलपुर ... भरतपुर)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 21.12.2017 को वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव अग्रिम पेशी दिनांक 05.04.2018 नियत की गयी थी। परन्तु पेशी दिनांक 05.04.2018 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी एवं प्रकरण सीधे दिनांक 29.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में रखकर, अन्तिम निस्तारण कर दिया। आदेशिका दिनांक 29.05.2018 में भी उभयपक्षकारान की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त दिवस की सूचना देने वाला कोई नोटिस ही संलग्न है। जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सूचित किये बिना, उनकी अनुपस्थिति में, राजस्व लोक अदालत की हडबडी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को ताक पर रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हमने विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं ना ही तैयार करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का पद का ही उल्लेख है। जिससे स्पष्ट हो सके कि विभाजन प्रस्ताव किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये हैं। इसके अलावा कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2018 को तैयार किये गये हैं एवं अपीलाधीन आदेश भी उसी रोज दिनांक 29.05.2018 को ही पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

न्यायालय को उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनकी सहमति/असहमति को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करना चाहिये था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः विधि अनुरूप कुर्रे प्रस्ताव तैयार करे एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त कुर्रे प्रस्तावो पर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, एवं विभाजन प्रस्तावो पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.12.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर